हुक्म

18/6/19 आज पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी उप0 आये/प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली आज अदम अदायगी अनुपालना में खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः यह पत्रावली भी अदम अदायगी अनुपालना में खारिज की जाती है एवं पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। फैसला सुनाया गया। [illegible] बाद तकमील संलग्न मूल दावा रहे। सुनाया गया।

[illegible]